कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/स्थानान्तरण–पदस्थापन/2022 दिनांकः 18.08.2022 द्वारा मुकेश कुमार व्याख्याता रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि गोवाटी सीकर से राउमावि नेहरोन की ढाणी, बाड़मेर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व मुकेश कुमार द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3591/2022 मुकेश कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3591/2022 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकः 12.09.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी मुकेश कुमार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर नवीन स्थानान्तरित विद्यालय 600 किमी दूर होने तथा स्वयं की माताजी के किडनी की बीमारी से पीड़ित होने के आधार पर राउमावि खाटूश्यामजी सीकर/राउमावि अमरपुरा दातारामगढ़ सीकर अथवा सीकर में कहीं भी पदस्थापन किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के स्थानान्तरण संबंधी दिशा–निर्देश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री व अन्य परिजनों की रूग्णता/देखभाल के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। जहां तक प्रत्यर्थी के समंजन का प्रश्न है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस के प्रकरण में समन्जन (Accommodation) के बारे में निम्नानुसार अवधारित किया हैः–''If the comptent authority issued tranfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned.''किसी भी लोकसेवक को जो हस्तान्तरणीय पद पर कार्यरत है,एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नही है। उन्हे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

जहां तक पदस्थापन स्थान की दुरी का प्रश्न है माननीय उच्च न्यायालय ने भगवान दास मित्तल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी 2007(2)276 में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the state where ever he/she is posted. The plea of posting at a distance form one place to another is immaterial. It does not involved any violence of service rule."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिहं दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में अवधारित किया है कि किसी भी लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब,कहां और किस समय स्थानान्तरित करता है।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख के आधार पर याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी है तथा उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकार पूर्वक नही की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य मे कही पर भी पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। अतः स्थानान्तरण आदेश से किसी प्रकार से सेवा नियमों का उल्लंघन नही पाया गया। उक्तानुसार अपीलार्थी मुकेश कुमार व्याख्याता रसायन विज्ञान का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निरस्तारित किया जाता है सभी संबधित पक्षकार सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/मुकेश कुमार/3591/को.के./2022 दिनांकः–29/03/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ) जयपुर।
6. संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक।
7. स्टॉफ आफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय, हाजा।
8. विधि अनुभाग/सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. संबधित संस्था प्रधान।
10. संबधित कार्मिक।
11. रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)